रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 1989/ज्येष्ठ 12, 1911
No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 1989/JYAISTHA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

संकल्प,

नई दिल्ली 2 जून, 1989

सं. एफ. 11(4)88-आर. आर. बी.—यत केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्याय मूर्ति, श्री एस. ओबुल रेड्डी को राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया था । (संकल्प सं. एफ. 10(21) 87-आर.आर बी. दिनांक 26 11 87)

और यतः उक्त अधिकरण ने दिनांक 30 नवम्बर, 1987 से 6 महीने की अवधि के लिये काम करना शुरू कर दिया था ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण के कार्यकाल को दिनांक 27 मई, 1988 के संकल्प सं. 11(4) 88-आर.आर.बी. के तहत दिनांक 30 मई, 1988 से 29 मई, 1989 तक एक वर्ष की और अवधि के लिये बढ़ाया था ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि उक्त अधिकरण का कार्यकाल 30 मई, 1989 से 30 नवम्बर, 1989 तक की अवधि के लिये और बढ़ाया जाए, ताकि वह अपना काम पूरा कर सके ।

अब, अतः दिनांक 26 नवम्बर, 1987 के उक्त संकल्प संख्या एफ. 10(21)/87-आर.आर.बी. के पैराग्राफ 7 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का कार्यकाल दिनांक 30 मई, 1989 से 30 नवम्बर, 1989 तक का और अवधि के लिये बढ़ाती है और निदेश देती है कि दिनांक 26 नवम्बर, 1987 के संकल्प सं. एफ. 10(21)87-आर.आर.बी. के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

दिनांक 27 मई, 1988 के संकल्प सं. एफ. 11(4)/88-आर.आर.बी. के तहत यथा संशोधित उक्त संकल्प के पैराग्राफ 7 में "1989 के मई के 29 वें दिन को या उससे पहले" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "1989 के नवम्बर महीने के 30 वें दिन को या उससे पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएं ।

— आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

— यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भारत के उच्चतम न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और 1982 की रिट याचिकाओं (सिविल) सं. 7149-50 और 1984 की रिट याचिका संख्या 132 के अर्जीदारों को भेज दी जाए ।

अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 2nd June, 1989

RESOLUTION

No. F. 11(4)/88-RRB.—Whereas the Central Government had appointed a National Industrial Tribunal consisting of Shri Justice S. Obul Reddy, retired Chief Justice of High Court of Andhra Pradesh, as its Chairman vide Resolution No. F. 10(21)/87-RRB dated the 26th November 1987;

And whereas the said Tribunal started functioning with effect from the 30th November, 1987 for a period of six months;

And whereas the Central Government extended the term of the said Tribunal for a further period of one year from 30th May, 1988 to 29th May, 1989 vide Resolution No. F. 11(4)|88-RRB, dated the 27th May, 1988;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to extend the term of the said Tribunal for a further period from 30th May, 1989 to 30th November, 1989 to enable it to complete its work.

Now, therefore, in pursuance of paragraph 7 of the said Resolution No. F. 10(21)|87-RRB, dated the 26th November, 1987, the Central Government hereby extends the term of the National Industrial Tribunal for a further period from the 30th May, 1989 and up to the 30th November, 1989 and directs that the following amendment shall be made in paragraph 7 of the said Resolution No. F. 10(21)|87-RRB, dated the 26th November, 1987, namely :—

In the said Resolution, in paragraph 7 as amended vide Resolution No. F. 11(4)|88-RRB dated 27th May, 1988, for the words, figures and letters "on or before the 29th day of May, 1989" the words, figures and letters "on or before the 30th day of November, 1989" shall be substituted.

— ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

— ORDERED also that the copy of the Resolution be communicated to the Ministries|Departments of the Central Government, all State Governments|Union Territories, all public sector banks, Regional Rural Banks, Suppreme Court of India, all High Courts and the Petitioners in the Writ Petitions (Civil) Nos. 7149-50 of 1982 and 132 of 1984.

A. K. AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989